सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-442/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 20 अक्टूबर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना तरवाँ

पास्को एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन मे आज दिनाक 20.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना तरवाँ के सतत पर्यवेक्षण में उ0नि0 नकी हैदर रिज्वी मय हमराह द्वारा मु0अ0स0-144/2020 धारा 376/294/504/506/313/120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना तरवां आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त टिंकू राजभर पुत्र रामदर्शन निवासी ग्राम कनौरा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर को भार्थिपुर नहर पुलिया के पास सें समय 6.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0-144/2020 धारा 376/294/504/506/313/120 बी भादवि व 3 व 4 पाक्सो एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

टिंकू राजभर पुत्र रामदर्शन निवासी ग्राम कनौरा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 नकी हैदर रिज्वी थाना तरवां आजमगढ़
2. का0 काशी कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. का0 शेरबहादुर प्रसाद थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना- मेहनगर

दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण मे प्र0नि0 प्रशान्त श्रीवास्तव के देखरेख मे उ0नि0 अशोक कुमार तिवारी मय हमराही फोर्स के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्तगण सम्बन्धित मु0अ0सं0 161/20 धारा 336/308/504/506/452 भादवि मे ग्राम सिंहपुर अभियुक्तगण के घऱो पर गिरफ्तारी हेतु दबिश दिया गया तो घर पर मौजूद मिले जिन्हे उनके अपराधो का बोध कराते हुए अभियुक्तगण 1. विमलेश सिंह पुत्र जगदीश 2. अमलेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासीगण सिंहपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ को घर से समय करीब 8.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे दिनांक 19.10.2020 को आवेदक के लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया था। जिसे जमीनी मुर्गी फार्म का अपशिष्ट डालने व न डालने देने के विवाद को लेकर मार पीट हुई जिसमे वादी की पत्नी श्रीमती लाली सिंह को ललाट व सर व शरीर के दुसरे हिस्सो मे गम्भीर चोटे आई है जो सदर आस्पताल आजमगढ़ मे ईलाज चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना-जीयनपुर

पुलिस (डायल 112) को 50 हजार रूपये व चेन की लूट की झूठी सूचना देने वाला गिरफ्तार

दिनांक 20.10.2020 को कालर विनय सिंह पुत्र स्व0 हरिप्रसाद सिंह निवासी साल्हेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा डायल 112 पर काल किया गया कि विपक्षी भूपेन्द्र सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह निवासी साल्हेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा उसके 50 हजार रूपये व चेन को लूट लिया है सूचना दिया। इस पर थाना स्थानीय की PRV 1042, PRV 1021 थाना मुबारकपुर व प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मौके पर पहुँच कर जाँच किया गया तो घटना असत्य पायी गयी। और पाया गया कि भूपेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है। जिस कारण उसे चुनावी रंजिश के कारण फंसाना चाहता था तथा भविष्य में विवाद को सम्भावना को देखते हुये झूठी सूचना देने वाले विनय सिंह उपरोक्त गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।